20/8/19 आज यह पत्रावली पेश हुई। जानिब आज्ञा निगरानी पत्रावली आज अदम पैरवी खारिज की जा चुकी है ऐसी स्थिति में इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया। अतः ऐसी स्थिति में अग्रिम कार्यवाही रोकी जाकर यह पत्रावली भी अदम पैरवी खारिज की जाती है एवं पूर्व के जारी अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। फैसला सुनाया गया। नम्बर से कम हो, बाद तामील पत्रावली मूल दावा रहे। सुनाया गया।